

69
23

पनावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपास्थित।
जार्जिन दाय जार्जिन पत्र कार्यालय निवेदना विरुद्ध
जिपार्जिन पेश किया कि ग्राम कंवरपुरा तह. बसवा
जिला-दौसा की ग्रामि खाता नं. नया-8 पुराना-8
के ख-नं. 123 लॉ 126, 139 लॉ 144, 213, 214,
236, 237, 239, 241 लॉ 256, 258, 291 से
296, 299 लॉ 303, 40 लॉ 50, 92, 92/312,
93, 94, 95 कुल कित-59 कुल रकबा 14-05 हेक्टर
तथा ग्राम कंवरपुरा तह. बसवा जिला-दौसा स्थित ग्रामि
खाता नं. नया-7 पुराना-7 के ख-नं. 257, 297,
298 कुल कित-3 कुल रकबा-0-16 हेक्टर एवं
ग्राम नागावास तह. बसवा जिला-दौसा स्थित ग्रामि
खाता नं. नया-48 पुराना-39 के ख-नं. 153 लॉ 164
166, 167, 168 कुल कित-15 कुल रकबा 2-95
हेक्टर जार्जिन एवं जिपार्जिन की सहस्वातेदारी की
रकबा है उपरोक्त वर्णित ग्राम में जार्जिन व जिपार्जिन
बेधारी बंधारा अनुसार काबिल काय है। ग्राम का
कामी तक विधेय बंधारा नहीं हुआ है जिपार्जिन
से। लगभग 3 व मृतक सरवण द्वारा हिन्दु अविवाहित
कोपार्जनरी ग्राम में अपने जकेले के नाम ग्राम पंचायत
व सरकारी फलाहरान से मिलकर अपने नाम माल
नामान्तरण खुलवाकर उसकी फाउ में शपथ फाइलिंग
जमाकरी में ग्रामि का इजाजत करा लिया। जिपार्जिन
नामायज तरीके से जार्जिन के कब्जेकाय में डबल
अदायी करने व हिन्दु विवाह पत्र के आधार पर
अपने हक में नामान्तरण खुलवाकर किसी दोगर

उप खण्ड अधिक

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

APP
Crll

कलेक्टर

मुकाम

बांदीकुई

मा शारदस्वरूप वर्मा बनाम लक्ष्मणसिंह वर्मा
जाम्ना कल्याणी निवेद्याज्ञा नं० 248/2022 सन् 2022

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

शरद को श्रम का खेपान करने पर आग दोहे जिन्हे पाकट किया जावे। तदुपरान्त प्रार्थगिन को एकपक्षीय सुना जाकर प्रार्थगिन के विरुद्ध अन्तरिम कल्याणी निवेद्याज्ञा जारी की गई। तलवी प्रार्थगिन जम नोटिस की गई। प्रार्थगिन इस जवाब प्रार्थम उत्तुत किया कि प्रार्थगिन वादग्रस्त श्रम के सहज्वातेदार नहीं है। प्रार्थगिन का श्रम वादग्रस्त से कोई लेना देना नहीं है। प्रार्थगिन द्वारा गलत सिपरा पत्र किया गया है। जमा गण, श्रमा के वारिस नहीं है। बल्कि मूलचत के पुत्र है। जिनकी माँ छोटी देवी है, छोटी देवी मूलचत की पत्नी है। छोटी देवी का मतदान सूची में नाम दर्ज है जिसमें उसके पति का नाम मूलचत दर्ज है। प्रार्थगिन के जनआधार योजना में अरे गये फार्म में प्रार्थगिन की माँ का नाम छोटी देवी दर्ज है। प्रार्थगिन ने जालसाजी पूर्वक अपने पिता का नाम मूलचत के स्थान पर श्रिया दर्ज करवा रखा है जो गलत है। प्रार्थगिन के पिता मूलचत की मृत्यु के पश्चात उसकी विरासत का नामांतरण प्रार्थगिन इस अपनी वालदेमत गलत दर्ज करवा लेने के कारण मन्ना, लोफली एवं छोटी देवी के नाम शम पंचायत डाय स्वीकृत किया गया था। परन्तु उसके पश्चात प्रार्थगिन के अरे अई मन्ना ने विरासत से प्राप्त जालसाजीत में से अपने दोनो

उप खण्ड अधिकारी
बांदीकुई (दीसा)

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

72
24/8/2022

प्राइमों को उसके हिस्से की कमी की रजिस्ट्री करवायी थी जो प्राथमिक ने कंपनी पालियों के नाम करवायी थी। प्राथमिक, मूलचन्द के हिस्से में से एक फ्लोरिडा के प्रिप्राथमिक वं. 24 मन्ना के साथ हिस्सा 1/3 पर कवियण काय्य है।

श्रीमा की मृत्यु के पश्चात उसकी विरासत का नामान्तरण ग्राम पंचायत बडिभाल मुड्डे द्वारा नामान्तरण सं. 26 दि. 20-8-04 ग्राम-कुंवरपुर तथा नामान्तरण सं. 59 दि. 20-9-2004 ग्राम नौजवास की फ्लोरिडा को खोला गया है। जो सही है। श्रीमा की विरासत का नामान्तरण उसके पारिसान कुजमोहन, हजारी, सरवन, झुंभी, लक्ष्मणसिंह के नाम स्वीकृत हुआ था। श्रीमा की पत्नी झुंभी की मृत्यु हो चुकी है। प्राथमिक झुंभी के पुत्र नहीं है, बल्कि छोटी पत्नी मूलचन्द के पुत्र है। इस कारण झुंभी के हिस्से में से कपने एक की उद्घोषणा करवाने के हकदार नहीं है। श्रीमा काय्य काय्य प्राथमिक ने कंपनी पालियों के जरिये न्याय लय हाज में दावा लकास्मा उनवानी लक्ष्मणसिंह कल्प गिरण पेम करवा रखा है। जिसमें प्राथमिक डिक्री हो चुकी है। इसकारण श्री उपरोक्त वाड्डे रजिस्ट्री केटा से वायित होने के कारण ज्वारिण किने जाने योग्य है। फ्लोरिडा श्रीमा वाड्डे के खातेदार काय्यकार है। माचुनन रिकार्ड्स खातेदार काय्यकार को फ्लोरिडा निषेधाज्ञा से पाबन्द गयी किना जा सकता है। किंतु जवाब प्राथमिक पेम के निवेदन है कि प्राथमिक ज्वारिण करमाया जावे। हमने प्राथमिक व फ्लोरिडा वकील कहेस सुनी। कहेस में उनमपद्म वकील ने प्राथमिक लकास्मा निषेधाज्ञा व लकास्मा प्राथमिक में वर्णित तथ्यों का दोहरान किना। हमने पत्रावली

उप खण्ड अधिकारी
बांदीकुई (दौसा)

में प्रस्तुत इस्तीफा के अवलोकन किता।
 वापस के संलग्न राजस्व जमावन्दी संवत्-2073-76
 ग्राम-कंवरपुरा खाला सं. नमा-8 पुराना-8, खाला
 सं. नमा-7 पुराना-7 एवं राजस्व जमावन्दी संवत्-
 2073-76 ग्राम-नांगवास खाला सं. नमा-48 पुराना-
 39 के अप्रार्थगिन रिकार्ड खतदार काबलकर हैं।
 अप्रार्थगिन ने प्रार्थना पत्र फरियाली निवेद्याला में
 प्रसत्य रूप कर्नित कर राजस्व रिकार्ड के दर्प
 खतदारान अप्रार्थगिन के विरुद्ध एकपक्षीय
 फेरिरीम फरियाली निवेद्याला प्राप्त की है। तदनुसार
 प्राईम जेसाई केस, सुविधा का सन्तुलन एवं
 अप्रार्थगिन शरी का सिद्धान्त अप्रार्थगिन के पक्ष में
 होना साबित है। उपरोक्त विवेचन से अप्रार्थगिन
 प्रार्थना-पत्र फरियाली निवेद्याला खारिज किता
 जाना उचित उतीर होता है।

फैल: फाउंड है कि अप्रार्थगिन वापस
 फरियाली निवेद्याला विरुद्ध अप्रार्थगिन वाकत ग्राम
 कंवरपुरा तह. कसवा हाल तह. बांदीकुई पिला-दौसा
 स्थित भूमि खाला सं. नमा-8 पुराना-8 ख.नं.
 123 लगा 126, 139 लगा 144, 213, 214, 236
 237, 239, 241 ल 256, 258, 291 ल 296,
 299 ल 303, 40 ल 50, 92, 92/312, 93,
 94, 95 कुल किता-59 कुल रकबा 14-05
 हेम्ट. एवं ग्राम-कंवरपुरा तह. कसवा हाल तह.
 बांदीकुई पिला-दौसा स्थित भूमि खाला सं. नमा-
 7 पुराना-7 के ख.नं. 257, 297, 298 कुल
 किता-3 कुल रकबा 0-16 हेम्ट. एवं ग्राम-
 नांगवास तह. कसवा हाल तह. बांदीकुई स्थित भूमि
 खाला सं. नमा-48 पुराना-39 के ख.नं. 153
 लगा 164, 166, 167, 168 कुल किता-15
 कुल रकबा 2-95 हेम्ट. चौकनीय नहीं होने से

उप खण्ड अधिकारी
बांदीकुई (दौसा)

शमस्वरूप जड लड्डमोसिल वर्ये

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

T-I
248/2022

स्वारीज किया जाता है। तथा एकरण में जारी
अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश दि० 13.10.22
पैकेट किया जाता है पत्रावली फैसलभुमार होकर
काद तकमील हम फिदा मूल पाठ रहे। निर्णय
सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी
बांदीकई (दौसा)